न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./46/2017/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. रामचन्द्र पुत्र प्रागदास उम्र 60 वर्ष जाति साध निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	बनाम	1.मांगाराम पुत्र लुम्बाराम उम्र 54 वर्ष 2.गजाराम पुत्र लुम्बाराम उम्र 65 वर्ष जाति कलबी निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 3.दरगाराम पुत्र गंगदाराम उम्र 60 वर्ष 4.वीराराम पुत्र गंगदाराम उम्र 56 वर्ष 5.पुराराम पुत्र गंगदाराम उम्र 50 वर्ष जाति कलबी निवासी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 6.श्रीमान तहसीदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 156/2016 बअनवान मांगाराम वगै. बनाम रामचन्द्र वगै. में पारित निर्णय दिनांक 05.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उपस्थित

1. वकील श्री सुखदेव प्रजापत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री डालुराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 15.09.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 691 रकबा 14.42 बीघा ग्राम भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थी संख्या 01 अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा संख्या 692 रकबा 03.16 बीघा प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। रास्ते में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट मंगवाई जिस पर अपीलांट द्वारा आपति स्वरूप आवेदन पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उतरदातागण का जबाव लिये बिना अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उतरदाता संख्या 01 के पास पहले से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें अपीलांट कों सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, जिस पर अपीलांट द्वारा लिखित आपति उठाई गई परन्तु अपीलांट के आपत्ति प्रार्थना–पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 691 रकबा 14.12 बीघा मौजा भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है जिससे लगता हुआ अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा संख्या 692 रकबा 03.16 बीघा प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी की जोत में आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना अवधारित किया है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांट पक्ष के द्वारा अपीलाधीन निर्णय के संबंध में किये गए आक्षेपों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा दिनांक 07.04.2017 को पुनः मौके की रिपोर्ट मंगवाने बाबत आवेदन पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस को सुन कर अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.07.2021 को मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार गुड़ामालानी से दिनांक 10.08.2021 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। मौका फर्द दिनांक 04.08.2021 तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं की उपस्थिति में बनाई जिसमें स्पष्ट किया गया कि खसरा संख्या 691 से कटाण मार्ग तक पहंचने के दो विकल्प खसरा संख्या 692 व खसरा संख्या 693 में से होकर है तथा मेड़ जो खसरा संख्या 692 व 693 के बीच बनी हुई है, पर रास्ता की लम्बाई दोनो खसरा नम्बर में बराबर है। पटवारी भेडाणा से दूरभाष पर उक्त रास्ते के संबंध में वार्ता की गई जिसने बात करते हुए जाहिर किया कि मौके पर वर्तमान में रास्ता खसरा संख्या 690 में चालु है जो पहले से ही उपयोग में आ रहा है यह रास्ता प्रदत्त रास्ते की दूरी से अधिक दूरी वाला होने से ग्रायय

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 156/2016 बअनवान मांगाराम वगै. बनाम रामचन्द्र वगै. में पारित निर्णय दिनांक 05.05.2017 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है कि वह अविलम्ब राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ते को सार्वजनिक आवागमन हेतु खुलवाकर सुचारू करे।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नक्शा ट्रेस ग्राम- भेड़ाणा तहसील- गुड़ामालानी
पैमाना 1" = ४० गट्ठा

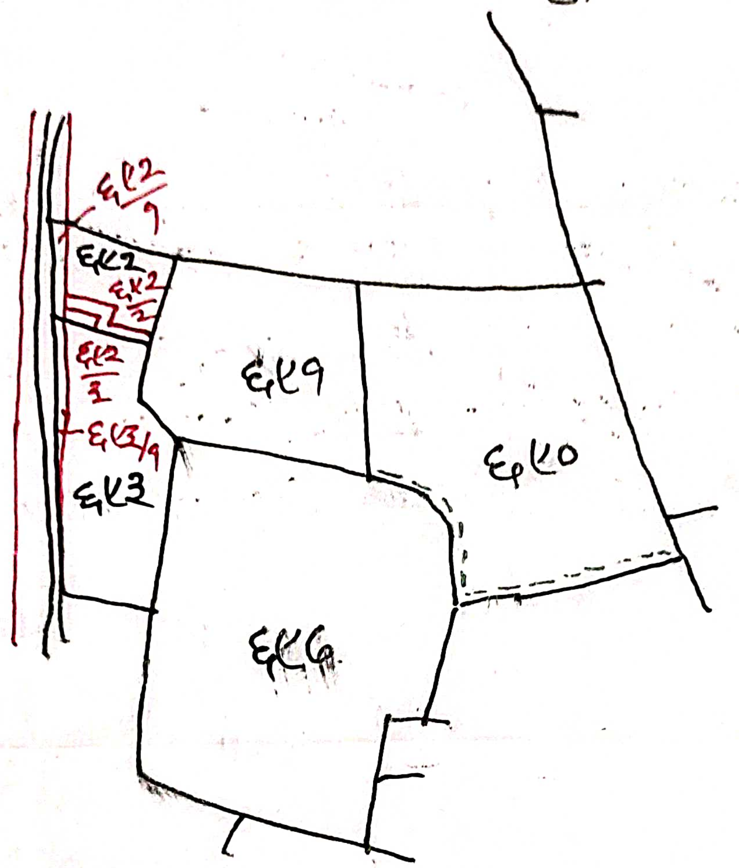

संकेत

===== वर्तमान में आवागमन हेतु अस्थायी रास्ता (ख.सं. 691 हेतु)

Reader शा.प्रि. हेतु
15/9/2021

न्यायालय RAA बाड़मेर प्रकरण संख्या 2017/046/225 RTA में माननीय न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 15.09.2021 को दूरभाष पर मौखिक रूप से चाही गई रिपोर्ट जिसमें खसरा संख्या 691 में आने जाने के लिए वर्तमान में उपयोग में आ रहे रास्ते को कलर हरा दर्शाया जाकर नक्शा ट्रेस सादर प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
15.9.2021
पटवारी भेड़ाणा
तहसील गुड़ामालानी